रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042025-262416 CG-DL-E-11042025-262416

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] No. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

फा. सं. एल—1/2064/2022—सीईआरसी.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 92(1) के साथ पिंत धारा 178 (2)(यख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-
- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 है;
- 1.2 ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियमों के विनियम 60 का संशोधन
- 2.1 मूल विनियमों के विनियम 60 के खंड (9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:--
  - "(9) केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों में उपस्थित होने पर सदस्य, भारत सरकार के सचिव को यथानुमत्त यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, आवास, और टैक्सी किराए के हकदार होंगेः

परंतु यह कि जो सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रोजगार में नहीं हैं, वे भारत सरकार के सचिव को यथानुमत्त यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, आवास, और टैक्सी किराए के अतिरिक्त, प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए रुपए पंद्रह हजार मात्र के हकदार होंगे:

2475 GI/2025 (1)

परंतु यह और कि मानदेय की राशि का पुनरीक्षण समय-समय पर पृथक अधिसूचना के माध्यम से आयोग द्वारा किया जा सकता है।"

# 3. मूल विनियमों के नए विनियम 60क का अंतर्वेशन

3.1 एक नए विनियम, अर्थात् विनियम 60क को मूल विनियमों के विनियम 60 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:--

# "60क. आयोग द्वारा आयोजित विशेषज्ञ समिति या संगोष्ठियों या व्याख्यानों में विशेषज्ञों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहभागिता।

- (1) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोग उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति या उसके द्वारा आरंभ की गई परामर्श प्रक्रिया में सहभागिता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उन विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता जिन्हें समुचित समझा जाए।
- (2) आयोग, अपने द्वारा आयोजित संगोष्टियों में सहभागिता करने के लिए या आयोजनों में व्याख्यान देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है।
- (3) आयोग, पृथक अधिसूचनाओं के माध्यम से, इस विनियम के उप—विनियमों (1) और (2) के अनुसार, विशेषज्ञ सिमित की बैठकों या परामर्श प्रक्रिया या संगोष्ठी या व्याख्यानों, यथास्थिति, में सहभागिता करने वाले विशेषज्ञों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास, टैक्सी का किराया, और मानदेय निर्धारित कर सकता है।"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./22/2025-26]

नोट: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 को अधिसूचित किए गए थे और दिनांक 23 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 51, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

# CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

**F. No. L-1/2064/2022-CERC.**—In exercise of the powers conferred under Section 178(2)(zb) read with Section 92(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations"), namely:-

### 1. Short title and commencement :-

- 1.1 These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (First Amendment) Regulations, 2025;
- 1.2 These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of Regulation 60 of the Principal Regulations

- 2.1 Clause (9) of Regulation 60 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-
  - "(9) While attending the meetings of the Central Advisory Committee, the members shall be entitled to the Travelling Allowance, Daily Allowance, accommodation, and taxi fare as admissible to the Secretary to the Government of India:

Provided that a member not in employment of the Central Government or State Government or Public Sector enterprise shall be entitled to an honorarium of Rupees fifteen thousand only for attending each meeting, in addition to the travelling allowance, daily allowance, accommodation and taxi fare as admissible to the Secretary to the Government of India:

Provided further that the amount of honorarium may be revised by the Commission from time to time through separate notification."

### 3. Insertion of New Regulation 60A of the Principal Regulations

- 3.1 A new Regulation, namely Regulation 60A, shall be added after Regulation 60 of the Principal Regulations as under:-
  - " 60A. Participation of Experts or Persons of Eminence in the Expert Committee or Seminars or

### Lectures organized by the Commission.

- (1) The Commission may invite the experts in various fields as may be considered appropriate to participate in the Expert Committee constituted by the Commission or in the Consultation Process initiated by the Commission to carry out the purposes of the Act;
- (2) The Commission may also invite persons of eminence to participate in the seminars or for delivery of lectures in the events organized by the Commission;
- (3) The Commission, through separate notifications, may fix the travelling allowance, daily allowance, accommodation, taxi fare, and honorarium as may be admissible to the experts or persons of eminence who participate in the meetings of the expert committee or consultation process or seminar or lectures, as the case may be, in terms of sub-regulations (1) and (2) of this Regulation."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./22/2025-26]

**Note :** The Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023 were notified on 19<sup>th</sup> October, 2023 and published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 51, Part III, Section 4 on 23rd January, 2024.